

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर आमेर मु.
 यायालय
 युवराज बनाम विकास
 क्रमा संख्या / वर्ष : 16 / 2024

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>अनुपस्थित। डॉ. पत्रावली वामने अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22/12/2024 को पेश की।</p> <p>पुत्र रूप:- पत्रावली का प्रेमाधिकार प्राप्त पत्रावली विधारीपुरा क्षेत्र से सभी पत्रकारण के विधारीपुरा क्षेत्र में पत्रावली निम्न करने हेतु साक्षरिणी भवे. पत्रावली दिनांक 12/11/2024 को उक्त क्षेत्र में पेश की।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर</p>	<p>अग्रवारी लक्ष्मी का ओमडनाशर्मा पुत्रकारणशर्मा मनोज शर्मा धरमराज लक्ष्मी</p>
13	22/12/2024 (सुप्रीम शर्मा)	<p>17.11.2024- पत्रावली आद प्रशासन गाँव के संगठनिका विधारीपुरा में पेश हुई। काजी युवराज व उसके मातापिता उपस्थित होकर प्रार्थना कर बाबत वाद विद्वा करने हेतु उद्घुत किया गया। काजीगण की पहचान कार्ड पंचकार्ड नं. 1 युवराज शर्मा ने की। प्रतिका सं. 1, 4, 13, 25, 34/1, 34/2, 34/3, 37/1, 37/2 उपस्थित हुए व स्वयं की कार्य. प्रस्तुत की। उक्त पत्रावली उक्त वाद युवराज का बाबतिंग होने से भारिये सरसमु उ लडे मामा द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन केस में युवराज के मातापिता ने उपस्थित होकर उक्त पत्रावली को उन्हीने गलत रूप पेश कर दिया उसके प्राकृतिक संरक्षक तो हम हैं। इस कथन के संबंध में अग्र उपस्थित प्रतिकागण ने भी सहमति व्यक्त की।</p>	<p>युवराज वारी लक्ष्मी मा वारी विकास प्रतिका सं. पहचान कार्ड पुत्रकारणशर्मा काडपंचकार्ड नं. ओमडनाशर्मा 34/1 कलश-पुत्र 2/1 सर सीताराम 34/2 का वारी 34/2</p>

13
 22/12/2024
 (सुप्रीम शर्मा)
 मनोज शर्मा
 34/1
 धरमराज
 34/3
 लक्ष्मी
 37/2



स्वायत्तलय आम आन्दोलन जयपुर

युवराज ग.स. विकास

कादह 16/2021

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>हमने पशावली प्रत्येक का अज्ञानता को दूर किया गया व उपस्थित लोगों द्वारा की अज्ञानता दूर किया गया है। युवराज अपने माता-पिता के पास ही रहना है तथा वही पालन पोषण कर रहे हैं और युवराज के प्राकृतिक संरक्षक माता-पिता ही हैं। अतः उक्त कादह विना करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कादह नारी को वारिष्ठ सिद्धांत उचित है। पशावली के ताल सुझाव दीकर दायित्व इच्छा है।</p>	

सहायक कलक्टर
आन्दोलन मु. जयपुर